न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-191RAAJodhpur2022-113RTA225 Bhuraram ors Vs Kirtaram etc

01. भूराराम पुत्र हीराराम
02. अजीतसिंह पुत्र भूराराम
दोनो जातियान् जाट, निवासी- बोरुंदा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. किरताराम पुत्र रमजीराम
2. दुर्गाराम पुत्र गुदड़राम
3. रामनिवास पुत्र रमजीराम
जातियान् जाट, निवासीगण- बोरुंदा, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।**रेस्पो. ...**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 26 फरवरी 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 122/2020 किरताराम बनाम सरकार इत्यादि

उपस्थित-

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 03 अगस्त 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 122/2020 किरताराम बनाम सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 26 फरवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 17 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील की अनुमति देने प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 44 रकबा 1.1083 हैक्टेयर ग्राम बोरुंदा तहसील पीपाड़ शहर में आने-जाने हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो संख्या चार के खातेदारी राजकीय खसरा नं. 16/18 रकबा 4.0693 हैक्टेयर किस्म गैर मूमकिन मगरा में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए,बी,सी,डी रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 फरवरी 2020 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के हितों को प्रभावित करने वाली भूमि में सें अगर रास्ता घोषित किया जाता है तो उस प्रभावित खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनन अनिवार्य है, लेकिन रेस्पोडेंट्स ने एक तरफा निर्णय को पारित करवाया है। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 27.12.2020 का परीक्षण अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय ने उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार नहीं किया है। अपीलांट संख्या एक के खसरा नं. 16/3 रकबा 0.8090 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा की माठ पर पक्की पत्थरों की चार दीवारी का निर्माण किया हुआ है तथा अपीलांट संख्या एक के खसरा नं. 16/3 के पूर्वी दिशा के बिलकुल चिपती हुई भूमि खसरा नं. 16/5 रकबा 0.0243 हैक्टेयर में अपीलांट्स का ओपन कुआं खुदा हुआ है तथा उस ओपन कुआं के चारो ओर चार दीवारी तथा अंदर की तरफ एक कमरा, पानी का हौद निर्मितसुदा है, उक्त निर्मितसुदा भूमि तथा ओपन कुआ में सें रास्ता कायम कर अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी विधिक त्रूटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 16/5 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा की भूमि को रास्ते में देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश न केवल विधि विरुद्ध है, बल्कि बिना अधिकार का होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे विधिक भूल की गई है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 44 में आने-जाने के लिए अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 16/5 रकबा 0.243 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा में नया रास्ता कायम करना चाहते है, जबकि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, जो रास्ता खसरा नं. 21, 22/2 गैर मुमकिन आबादी में से पूर्वी दिशा की ओर खसरा नं. 20/1, 16/2 तथा उसके आगे खसरा नं. 16/19 की भूमि स्थित है। उक्त भूमि खसरा नं. 21, 22/2 गैर मुमकिन आबादी है, जिसमें प्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास करते है, उक्त भूमि खसरा नं. 21,22/2 के पूर्वी दिशा की ओर रेस्पोडेंट संख्या दो की भूमि खसरा नं. 20/1, 16/2 आयी हुई है तथा उसके बाद भमि खसरा नं. 16/18 गैर मुमकिन मगरा स्थित है, उक्त खसरा नंबर 16/18 गैर मुमकिन मगरा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थी संख्या दो दुर्गाराम का ट्यूबवेल खुदी हुई है तथा एक बिजली का कमरा निर्मितसुदा है, उसके ठीक दक्षिणी दिशा की ओर प्रार्थी संख्या एक से तीन किरताराम, दुर्गाराम, रामनिवास की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि खसरा नं. 21, 22/1 के दक्षिणी दिशा की ओर प्रार्थीगण की स्वयं की फाटक लगी हुई है, उस फाटक को खोलकर आगे स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नं. 20/1, 16/18 के दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे होकर आगे खसरा नं. 16/18 के दक्षिणी दिशा से अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 44 में पहुंचते है। प्रार्थीगण पैतृक खातेदारी की भूमि में सें रास्ता कायम नहीं करवा कर अन्य भूमि खसरा नं. 16/18 में नया रास्ता कायम कर दिया है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी अनियमितता की गयी है जो केवल इसी बिनाय पर निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 बाबत अपील अनुमति एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि भूमि खसरा नं. 16/3 एवं 16/5 अपीलांट्स की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिससे अपीलांट्स के हित प्रभावित हुए है। इसलिए अपीलांट्स अपने प्रस्तुत करने के अधिकारी है। हाल ही में रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट की खातेदारी की भूमि की दीवार तोड़ने हेतु कहा गया तो अपीलांट्स ने ऐसी नाजायज हरकत करने से मान किया तो रेस्पोडेंट्स ने बताया कि उनके पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस भूमि को रास्ता घोषित करने का निर्णय पारित कर दिया है। तब अपीलांट्स ने पीपाड़ कचहरी जाकर पता करवाया एवं अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश की प्रति प्राप्त की तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 46/2021 जसा बनाम भगवान इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 फरवरी 2022 को खारिज फरमाया जावे एवं मामले को विधिनुसार निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक से सात ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेंट्स संख्या एक से सात की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया हैं। अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दावे में पक्षकार थे अपीलांट के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स के किसी भी प्रकार के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी खातेदारी की भूमि में रास्ता प्रदान नहीं किया गया है जो अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ही स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरी नक्शे अनुसार रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन की इस्तदुआ के अनुसार राजकीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि खसरा नं. 16/18 किस्म गैर मुमकिन मगरा में से रास्ता दिया गया है। अपीलांट्स द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनकी कौनसी खातेदारी की भूमि में से कितना रकबा रास्ते के रूप में घोषित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी में से न तो रास्ता चाहा गया और न ही उनके विरुद्ध कोई अनुतोष चाहा गया है, इसलिए उन्हें विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स के हित प्रभावित नही होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 27.12.2020 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खसरा नं. 44 में आवागमन हेतु राजकीय भूमि खसरा नं. 16/18 में सें मार्क ए,बी,सी,डी रास्ता बताया गया है, जिसकी लम्बाई 88 गट्ठा तथा चौड़ाई 2 गट्ठा बतायी गई है। रास्ते के रूप में काम में आने वाली भूमि का रकबा 0.09 बीघा बताया गया है। अपीलांट्स का कथन है कि उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 16/3 एवं 16/5 है, जिसमें से रास्ता दिया गया है। अपीलांट्स के कथनों के परिप्रेक्ष्य में मौका फर्द दिनांक 27.12.2020 के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी के उक्त खसरान् में से किसी प्रकार का कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रास्ता नहीं दिया जाना पाया जाता है, जिससे अपीलांट्स के हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट्स के हित के प्रभावित नहीं होने से अपीलांट्स अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं ठहरते हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 122/2020 किरताराम बनाम सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 26 फरवरी 2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.08.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर